लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स कुंदन कुमार, प्रस्तावक, श्री कुंदन कुमार, पिता–श्री प्रभाष कुमार सिंह, ग्राम+पो0–रामपुर, थाना–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय के द्वारा बाजन नदी ब्लॉक–01 ढोलकटवा बालू घाट, मौजा–ढोलकटवा, प्रखंड–बरहट, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 26.07.2023 को अपराहन् 03:00 बजे प्रखंड सभागार बरहट, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2297/2023, दिनांक 16.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **23.06.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री बिपिन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बाजन नदी ब्लॉक–01 ढोलकटवा बालू घाट, मौजा–ढोलकटवा, प्रखंड–बरहट, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री कुंदन कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–01 में 5.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 62100 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹69.75 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–01 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गॉव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री श्रीकांत, बरहट, जमुई के द्वारा निम्न प्रश्न पुछा गया। 1. पूर्व में 3 मीटर खनन की अनुमति थी। प्रस्तावित परियोजना 1 मीटर तक ही खनन के अनुमति है जिससे अवैध खनन की संभावना है। 2. स्थानीय लोगों के रोजगार की क्या व्यवस्था है। 3. दुर्घटना से बचाव हेतु क्या उपाय किया जायेगा। 4. दिन में शहर में गाड़ी की नो इंट्री होने से यातायात बाधित होता है अतः नो इंट्री को हटाया जाय।	जमुई जिला नदियों का पुनर्भरण अध्ययन अभी पूर्ण नहीं हुआ है जिसके कारण 1 मीटर तक खनन की ही अनुमति दी गई है। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात बालू के उपलब्धता के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है। प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर यथा ऑपरेटर, सुपरवाइजर, अकुशल श्रमिक इत्यादि के लिए लिया जायेगा। किसी भी तरह का दुर्घटना से बचने तथा नियंत्रण के लिए स्थानीय थाना तथा स्थानीय प्रशासन का मूवमेंट होता रहता है। जिला स्तरीय बैठक में चेक–पोस्ट का विषय रखा जा सकता है जिसपर अग्रतर निर्णय लिया जा सकेगा।
2.	श्री मनोज कुमार, बरहट, जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के आवागमन से दुर्घटना होने से बचाव के लिए उपाय की जानकारी मांगी गई।	बालू लदे गाड़ियों के परिवहन के लिए आबादी एवं विद्यालय से दूरी पर वैकल्पिक मार्ग बनाया जायेगा।
3.	श्री राहूल कुमार, बरहट, जमुई के द्वारा गाड़ी चलने से धूल मिट्टी उड़ने तथा बालू के सड़क पर गिरने से रोकने के लिए किये जाने वाले उपाय की जानकारी मांगी गई।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 3 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा।
4.	श्री भूषण कुमार, ढोलकटवा, जमुई के द्वारा नियमित रूप से जल छिड़काव तथा गाड़ियों को तिरपाल से ढककर ले जाये जाने का अनुरोध किया गया।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 3 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए

आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

26.7-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

26/7/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स मेसर्स कुंदन कुमार, पिता-श्री प्रभाष कुमार सिंह, ग्राम+पो०-रामपुर, थाना-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय-811310 द्वारा बाजन नदी ब्लॉक 01 ढोलकटवा बालू घाट, मौजा-ढोलकटवा, ब्लॉक-बरहट, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.07.2023 को अपराह्न 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार बरहट, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Addl (PGR) Cum DPGRO Jamui	[signature] 26/7/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur B. S. P. C. B	Shambhu 26-7-23
3.	Gourav Krishna	Mines Inspector Jamui	[signature] 26/07/2023
4.	Shatrughan Prasad	Ocean Envir.	S. prasad. 26/07/23.
5.	Amish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 26/07/2023.
6.	Bipin Prasad	Ocean Envir, Patna	[signature]
7.	कुन्दन कुमार संवेदक	ग्राम, पोस्ट रामपुर थाना सूर्यगढ़ा जिला लखीसराय	कुन्दन कुमार
8.	[illegible] कुमार	ग्राम - [illegible] पो०+थाना- बरहट, जमुई	[signature]
9.	रणजीत कुमार	ग्राम - सलैया, पो०+थाना बरहट जिला जमुई	[signature]
10.	Veeru Kumar	Barhat	V kumar

11.	जोगिन्दर यादव	भरकोड़ुआ	योगेन्द्र यादव
12.	रवीन्द्र मंडल	रतनैया	रवीन्द्र मंडल
13.	चन्द्र कुमार ठाकुर	बरहट	चन्द्र कुमार ठाकुर
14.	टुनटुन रावत	बरहट	टुनटुन रावत
15.	मुकेश विश्वकर्मा	बरहट	~~8298634672~~ मुकेश विश्वकर्मा
16.	शैलेन्द्र कुमार	बरहट	~~9199712662~~ शैलेन्द्र कुमार
17.	कुन्दन कुमार	बरहट	~~62049~~ कुन्दन कुमार
18.	मुकेश मांझी	कोका	मुकेश
19.	विजय कुमार	टोलकटवा	विजय कुमार
20.	Bhushan Singh	Kubal.	[illegible]
21.	निरंजन कुमार	बरहट	निरंजन कुमार
22.	Santosh Yadav	जमुई	Santosh
23.	कारु मांझी	कुकुरझोप (बरहट)	कारु मांझी
24.	प्रदीप यादव	बरहट	प्रदीप यादव
25.	इन्द्रदेव राव	बरहट	इन्द्रदेव राव

26.	Nitesh. Kumar	Barhat	N. [illegible]
27.	Jawaharyadav	Barhat	Jawahar
28.	Manoj Kora	Barhat	Manoj Kora
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.	Bimal Kr.	Barhat	Bimal Kr
31.	रमेश पासवान	कटौना	रमेश पासवान
32.	Md. Ghori	BSPCB Patna	Ghori
33.	Praveen K Roy	Kop. Retrnkation	[illegible]
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			